[2008] 4 एस. सी. आर

हेम चंद

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 470/2008)

13 मार्च, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ई) - सरकारी कम्पनी में कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप-अभियुक्त ने उन्मोचित करने के लिए आवेदन किया और अपने बचाव में कुछ दस्तावेज दाखिल किए - विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हें उसके आवेदन पर आदेश पारित करने के उद्देश्य से नहीं देखा जा सकता - आदेश की औचित्यता -आरोप तय करने के स्तर पर न्यायालय एक सीमित क्षेत्राािधकार का प्रयोग करता है - केवल यह देखना होगा कि क्या एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है - इस स्तर पर न्यायालय साक्ष्य की विवेचना के उद्देश्य से मामले की गहराई में नही जा सकता - इस बात पर

सामान्यतः विचार नहीं करेगा कि क्या आरोपी अपना बचाव, यदि कोई हो तो, उसे स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा या नहीं।

अपीलार्थी जो सरकारी कम्पनी में कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) के पद पर था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ई) के अपराध के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में विचारण का सामना कर रहा था। यह आरोप था कि उसके पास आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति थी। आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने उन्मोचित करने के लिए आवेदन दायर किया और अपने बचाव में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हे उसके आवेदन पर आदेश पारित करने के उद्देश्य से नहीं देखा जा सकता। अपीलार्थी द्वारा धारा 397, द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई।

वर्तमान अपील के अन्तगर्त यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वे दस्तावेज, जिन पर अपीलार्थी अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करता है, उन पर क्या आरोप के स्तर पर विचार किया जा सकता है?

अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि यह स्पष्ट है कि सी.बी.आई. ने स्वयं उक्त दस्तावेजों को अपीलार्थी के निवास से जब्त किया है, इसलिए वह उन पर भरोसा कर सकता है।

दूसरी ओर राज्य की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्त्ता का इरादा कुछ ऐसे दस्तावेजो पर भरोसा करने का था, जो दस्तावेज पहली बार विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष दाखिल किए गए थे, अतः उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए यह प्रतिपादित किया गया-

1.1 आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय साक्ष्यो का मूल्याकंन नही करेगा। इस निष्कर्ष पर पहु्ँचने के उद्देश्य से कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित करने में सक्षम है या नहीं, की स्थिति प्रकरण में विचारण के दौरान समस्त साक्ष्य के अभिलेख पर प्रस्तुत होने के पश्चात ही उत्पन्न होगी। [पैरा 8]

1.2 अपीलकर्त्ता जिन दस्तावेजो पर भरोसा करना चाहता था वे थे : (i) आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित कर-निर्धारण का आदेश और (ii)

उसकी संपत्ति की घाेषणा। यह कहना एक बात है कि स्वीकृत दस्तावेजों के आधार पर, अपीलकर्ता यह दिखाने की स्थिति में था कि उसके खिलाफ आरोप तय नही किये जा सकते हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि उक्त उद्देश्य के लिए वह कुछ ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा करे, जिन पर अभियोजन भरोसा नही करेगा। [पैरा 08, 09]

1.3 विद्वान विशेष न्यायाधीश ने देखा कि अपीलकर्ता द्वारा उन्मोचन के लिए अपने आवेदन के साथ सोलह दस्तावेज दाखिल किए गये थे। अभियोजन पक्ष ने भी बडी संख्या में उन दस्तावेजों पर भरोसा किया, जिनकी संख्या 56 थी जिनमें से 05 दस्तावेज अनुसंधान से संबंधित होने के कारण उनका प्रकरण के गुणावगुण से कोई लेना-देना नही था। 51 दस्तावेजों में से 17 दस्तावेज अपीलकर्ता द्वारा किये गये कथित व्यय से संबंधित थे। शेष 30 दस्तावेजों में से 06 दस्तावेज विशेष रूप से उसकी पत्नी की संपत्ति से संबंधित थे और एक दस्तावेज उसकी मां की सम्पत्ति से संबंधित था। इस प्रकार 23 दस्तावेज अपीलकर्ता की संपत्ति से संबंधित थे,जाे उसके द्वारा वार्षिक रूप से की जाने वाली संपत्ति की घाेषणा में परिलक्षित होते है। [पैरा 10]

1.4 विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई. द्वारा जिस पर विचार करने से इन्कार किया गया, वह अपीलार्थी द्वारा अपने उन्मोचन आवेदन के साथ प्रस्तुत

दस्तावेज थे। आरोप तय करने के चरण में न्यायालय सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसमें सिर्फ यह देखना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्या अनुसंधान के दौरान मिली सामग्रियों के आधार पर किसी अपराध के लिए संभावित दोषसिद्धी का मामला बनाया गया है या नही, यह न्यायालय को देखना चाहिए। इस स्तर पर, न्यायालय साक्ष्य की विवेचना के उद`देश्य से मामलें की गहराई मे नही जायेगा। इसमें आमतौर पर इस बात पर विचार नही किया जायेगा कि क्या अभियुक्त अपना बचाव, यदि कोई हो, उसे स्थापित करने में सक्षम होगा या नही। [पैरा 12]

मध्यप्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी (2000) 6 SCC 338 एवं उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाढी (2005) 1 SCC 568 पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 470/2008.

अापराधिक निगरानी संख्या 1074/2004 में झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.02.2007 के विरूद्व ।

अपीलार्थी की ओर से सौरभ मिश्रा उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से बी.बी. सिंह उपस्थित हुए।

न्यायालय का निर्णय पारित द्वारा

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलकर्ता पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वह प्रतिनियुक्ति पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में एक सरकारी कंपनी सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड में नियुक्त हुए। उन्हे कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) के रूप में पुनः नामित किया गया।

30/31.08.1992 की रात को उनके आवास पर सीबीआई अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त मामलें में उनके खिलाफ 18.06.1997 को या उसके आसपास आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त आरोप पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों की मद संख्या 01 और 20 की प्रतियों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। उसे उक्त दस्तावेज जारी नहीं किये गये। इसके संबंध में कई विवाद उठाए गए। उसने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का रूख किया जिसे 1999 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 90 के रूप में दर्ज किया गया।

3. दिनांक 20.04.2001 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को उक्त दस्तावेजो की आपूर्ति का निर्देश देते हुए कहा;

> "16. दोनो पक्षों की ओर से विभिन्न बिन्दु उठाए गए है, लेकिन इस स्तर पर गुणावगुण के आधार पर उन सभी बिन्दुआेें पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि मुझे लगता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार मामलें को नीचे की अदालत में वापस भेजना उचित है, जिससे संबंधित पक्षों को विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें उठाने का मौका मिल सके और विद्वान विशेष न्यायाधीश,सीबीआई, रांची को सूची की आईटम नम्बर 01 और 20 दस्तावेज की प्रतियां अभियुक्त/याची को प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है और उन दस्तावेजो पर भी आरोप मुक्त करने के मामलें पर आदेश पारित करते समय सीबीआई द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के साथ विचार किया जा सकता है।"

[2008] 4 एस. सी. आर 985

4. अपीलकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर स्वयं को उन्मोचित करने के लिए आवेदन दायर किया कि आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसके अलावा, उन्होने अपने बचाव में कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए। आरोप मुक्त करने के लिए उक्त आवेदन को विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्त्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उन्हे आरोप मुक्त करने के उसके आवेदन पर आदेश पारित करने के उद्देश्य से नहीं देखा जा सकता है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 397 के तहत अपीलकर्त्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के द्वारा खारिज किया गया।

5. अपीलकर्त्ता स्वीकृत रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) सपठित धारा 13 (2) के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमें के विचारण का सामना कर रहा है।

अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसके पास आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक संपत्ति पायी गयी। प्रश्न यह है कि क्या कोई दस्तावेज, जिस पर अपीलकर्त्ता अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करता है, आरोप तय करने के स्तर पर देखा जा सकता है।

[2008] 4 एस. सी. आर 985

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सौरभ मिश्रा प्रस्तुत करते है कि 20.04.2011 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 90/1999 मे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जा ॅच ब्यूरो स्वयं ने अपीलकर्त्ता के निवास से उक्त दस्तावेज जब्त किये गये है और मामलें को देखते हुए, वह उस पर भरोसा कर सकते है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी.बी. सिंह का कहना है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि अपीलकर्त्ता का इरादा कुछ ऐसे दस्तावेजो पर भरोसा करने का था, जो दस्तावेज पहली बार विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष दाखिल किए गए थे। अतः आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए।

8. यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि आरोप तय करने करने के स्तर पर न्यायालय साक्ष्यों का मूल्याकंन नही करेगा। इस निष्कर्ष पर पहु ॅचने का चरण कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित करने में सक्षम है या नहीं, मुकदमें मे विचारण के दौरान समस्त साक्ष्य को अभिलेखित होने के पश्चात ही आवेगा।

अपीलकर्ता जिन दस्तावेजो पर भरोसा करना चाहता है वे थे : (i) आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित कर-निर्धारण का आदेश और (ii) उसकी संपत्ति की घोषणा

9. यह कहना एक बात है कि स्वीकृत दस्तावेजों के आधार पर, अपीलकर्त्ता यह दिखाने की स्थिति में था कि उसके खिलाफ आरोप तय नही किये जा सकते हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि उक्त उद्देश्य के लिए वह ऐसे कुछ दस्तावेजों पर भरोसा करें, जिन पर अभियोजन भरोसा नही करेगा।

10. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने देखा कि अपीलकर्त्ता द्वारा उन्मोचन के लिए अपने आवेदन के साथ सोलह दस्तावेज दाखिल किए गये थे। अभियोजन पक्ष ने बडी संख्या में दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है। जिनकी संख्या 56 थी, जिनमें से 05 जाॅच के मामलें से संबंधित होने के कारण मामले के गुणावगुण से कोई लेना-देना नही है। 51 दस्तावेजों में से 17 दस्तावेज अपीलकर्त्ता द्वारा किये गये कथित व्यय से संबंधित थे। अपीलकर्त्ता की पत्नी की आय से संबंधित 04 दस्तावेज थे। शेष 30 दस्तावेजों में से 06 दस्तावेज विशेष रूप से उनकी पत्नी की संपत्ति से संबंधित है और एक उनकी मां की संपत्ति से संबंधित है । इस प्रकार 23 दस्तावेज अपीलकर्ता की संपत्ति से संबंधित थे,जाे

उसके द्वारा वार्षिक रूप से की जाने वाली संपत्ति की घाेषणा में परिलक्षित होते है।

11. हालांकि, विद्वान विशेष न्यायाधीश, ने रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करते हुए अपनी राय इस प्रकार दी;-

"....लेकिन इस स्तर पर मुझे लगता है कि जब तक बचाव पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजो को आैपचारिक रूप से साबित नही किया जाता, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह मुकदमें के समापन से पहले उसके गुणावगुण पर विचार करने के सामान होगा। हालांकि,अभियोजन द्वारा केस डायरी में एकत्र की गई सामग्री के आधार पर यह प्रकट होता है कि आरोपी/याचिकाकर्त्ता के विरूद्व उपरोक्त धाराआेें के तहत अारोप तय करने के लिए आधार मौजूद है। इसलिए,उपरोक्त याचिका खारिज की जाती है। ''

12. इस प्रकार, सीबीआई के विद्वान वकील अपनी दलील में सही है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा जिस बात पर गौर करने से इन्कार कर

दिया गया है, वह अपीलकर्त्ता द्वारा उन्मोचन के लिए उसके आवेदन के साथ दायर किए दस्तावेजों से संबंधित है।

आरोप तय करने के चरण में न्यायालय सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसमें सिर्फ यह देखना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्या जा ॅच के दौरान मिली सामग्रियों के आधार पर किसी अपराध के लिए संभावित दोषसिद्वी का मामला बनाया गया है या नही, यह अदालत की चिंता होनी चाहिए। इस स्तर पर, न्यायालय साक्ष्य की विवेचना के उद`देश्य से मामलें की गहराई मे नही जायेगा। इसमें सामान्य तौर पर इस बात पर विचार नही किया जायेगा कि क्या अभियुक्त अपना बचाव, यदि कोई हो, उसे स्थापित करने में सक्षम होगा या नही। इसके विपरीत, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व अपराध प्रमाणित करन के लिए जिन साक्ष्यों को पेश करना प्रस्तावित करता है, भले ही प्रतिपरीक्षण के दौरान उसे चुनौती दिये जाने से पहले या फिर बचाव साक्ष्य, यदि कोई है, द्वारा उन्हे खण्डित करने से पूर्व उससे यह प्रकट नही होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध कारित किया है, तब आरोप का े अभिखण्डित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य बनाम ,मा ेहनलाल सोनी [(2000) 6 एस.सी.सी. 338] ,के मामलें में इस न्यायालय ने यह माना है ;

[2008] 4 एस. सी. आर 985

"7. स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि आरोप तय करने के स्तर पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया विचार करना होगा कि क्या आरोपी के विरूद्व आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्यो का मूल्याकंन करने की आवश्यकता नही है कि क्या प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी को दोषी ठहराने के लिये पर्याप्त है या नही।"

इसके अलावा यह भी देखा गया;

"जैसा कि उपर दिए गए पैराग्राफ से स्पष्ट है कि यदि अदालत सन्तुष्ट है कि आगे कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आरोप तय करने होंगे। इसके विपरीत, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित करने के लिए जिन साक्ष्यों को पेश करना प्रस्तावित करना है, भले ही प्रतिपरीक्षण के दौरान उसे चुनौती दिए जाने से पहले या बचाव साक्ष्य, यदि कोई है, द्वारा उन्हें खण्डित करने से पूर्व, यदि उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर भी लिया जावें, तब भी उससे यह प्रकट

नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध कारित किया है, तो आरोपों को अभिखण्डित किया जा सकता है।"

हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत है।

उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाढी [(2005) 1 एससीसी 568] भी देखें।

हालांकि, हम यह भी कह सकते है कि इस मामलें में यह न्यायालय अन्य विधि सिद्वान्तो पर विचार नही कर रही है,जिन्हे इस स्तर पर विवाद बिन्दुओं को निर्धारित करने में लागू किया जायेगा।

13. उपरोक्त कारणो से, इस अपील में कोई योग्यता नही है जिसे तद`नुसार खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रशान्त अग्रवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।